

NHRC notice to Govt. on denial social security cover to Divyangs

STATESMAN NEWS SERVICE

BHUBANESWAR, 2 NOVEMBER:

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notice to the District Magistrate of Keonjhar district over the alleged denials of rights of physically challenged persons to get their pension due to lack of local administration.

Acting on a petition filed by Human Rightslawyer Radhakanta Tripathy, the NHRC passed the order. The petition had drawn the attention of the NHRC towards a very disturbing video that went viral on social media in which a destitute seventy-four-yearold triballady named Pathuri Dehury, is looking to crawl to reach Raisun Panchayat under Telkoi Block in Keonjhar district to collect her pension.

The petition further noted another disablednamed Madhav Jamuda of Kuladera Village under Khuntapada faces similar problems due to lack of road and lack of assistance from the Government Officials, which amounted to violation of human rights and fundamental rights.

Tripathy requested the Commission to ask the concerned public authorities to ensure pensions at their doorstep, and also arrange wheelchairs to the physically challenged victims. He also requested the Commission to direct the Administration for construction of all-weather road connectivity and other amenities to the villagers on top priority.

The NHRC asked the District Collector to ensure the needful action and submit the action taken report to the Commission within four weeks.

The Statesman

Sun, 03 November 2024

https://epaper.thestatesman.com/c/761587





कलेक्ट्रेट परिसर में बुजुर्ग की आत्मदाह से मौत के मामले में डीएम व एसएसपी से मांगी रिपोर्ट

संवाददाता, मुजफ्फरपुर : कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह से बिंदालाल गुप्ता की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे अतिगंभीर माना है। साथ ही मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन बताया है। आयोग ने डीएम व एसएसपी को कार्रवाई करते हुए आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने मामले में एनएचआरसी व बीएचआरसी में याचिका दायर कर न्यायिक जांच की मांग की थी। राष्टीय मानवाधिकार आयोग ने सुनवाई करते

हुए यह आदेश जारी किया है।

विदित हो कि पिछले दिनों जमीन पर दखल-कब्जा नहीं मिलने से परेशान कांटी कस्बा के बिंदालाल गुप्ता ने कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह किया था। इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में उनकी मौत हो गई थी। बता दें कि 2014 में उन्हें तीन डिसिमल जमीन भू-हदबंदी से मिली थी। इस पर वह घर बनाना चाहते थे, लेकिन पड़ोसी जमीन पर दखल कब्जा नहीं करने दे रहे थे। 2020 में उस पर घर बनाने का प्रयास किया तो आरोपित पड़ोसी ने झोपड़ी गिरा दी थी। अधिकारियों से गुहार के बाद भी जमीन पर कब्जा

नहीं मिल रहा था। कई बार कार्यालयों का चक्कर लगाते-लगाते वह परेशान हो गए थे। इसके बाद पिछले दिनों कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच कर शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मानवाधिकार अधिवक्ता ने कहा कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर कोटि का है।

मौत के बाद भी विवाद : इस मामले में प्रशासनिक लापरवाही का आलम यहा रहा कि बिंदा प्रसाद के निधन के बाद भी विवाद चलता रहा। सरकार की ओर से परिवार को दी गई जमीन पर रैयतों ने दावा कर दिया।



DAINIK BHASKAR, Muzaffarpur, 3.11.2024

Page No. 4, Size:(6.35)cms X (13.12)cms.

बिंदा लाल आत्मदाह कांड में मानवाधिकार आयोग ने डीएम व एसएसपी से रिपोर्ट तलब की

सिटीरिपोर्टर मुजपफरपुर

कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता की मौत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अति गंभीर माना है। आयोग ने डीएम और एसएसपी को तलब करते हुए रिपोर्ट की मांग की है। इसके लिए दोनों अधिकारियों को दो माह का समय दिया है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने मामले को लेकर राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी। न्यायिक जांच की मांग की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए एनएचआरसी ने यह आदेश जारी किया है। जमीन पर दखल-कब्जा नहीं मिलने से परेशान होकर कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले कांटी कस्बा के बिंदालाल गुप्ता की एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। वर्ष 2014 में उसे तीन डिसिमल जमीन भू-हदबंदी से प्राप्त हुई थी। जिस पर वह घर बनाना चाहता था। लेकिन, पडोसी उक्त जमीन पर उसे दखल कब्जा नहीं करने दे रहे थे। आला अधिकारियों तक गृहार के बाद भी उसे जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था। कई बार कार्यालयों का चक्कर लगाते-लगाते वह परेशान हो गया था। इससे उबकर कलेक्ट्रेट पहुंच कर उसने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली थी। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन का अति गंभीर मामला है।





एनएचआरसी ने जिलाधिकारी और एसएसपी से आठ हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

संवाददाता, मुजफ्फरपुर

कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता की मौत के मामले में एनएचआरसी ने जिले के डीएम और एसएसपी को तलब किया है. एनएचआरसी ने मामले को अतिगंभीर माना है. साथ ही इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन भी बताया है. आयोग ने डीएम और एसएसपी को मामले में कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले
बिदालाल गुप्ता का मामला

कार्रवाई करते हुए आठ सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है. मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने एनएचआरसी व बीएचआरसी में याचिका दायर कर मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एनएचआरसी ने यह आदेश दिया है. बता दें कि जमीन पर दखल- कब्जा नहीं मिलने से परेशान होकर कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले कांटी कस्बा के बिंदालाल गुप्ता की एसकेएमसीएच में मौत हो गयी थी. वर्ष 2014 में उन्हें तीन डिसमिल जमीन भू-हदबंदी से प्राप्त हुई थी. उस पर वह घर बनाना चाहते थे, लेकिन पड़ोसी उस जमीन पर उन्हें कब्जा नहीं दे रहे थे. अधिकारियों तक गुहार के बाद भी उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था.



एनएचआरसी ने डीएम और एसएसपी को किया तलब, 8 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा

कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल की मौत को एनएचआरसी ने अति गंभीर माना

करने को कहा है मालुम हो कि उक्त मामले में

पीड़ित परिवार की ओर से मानवाधिकार अधिवका एस.के.झा कर रहे हैं मामले की पैरवी। बताया जाता है कि एनएचआरसी ने मामले को अतिगंभीर माना है, साथ ही इसे मानवाधिकार का गंभीर उद्घंघन भी बताया है। आयोग ने डीएम और एसएसपी को मामले में कार्रवाई करते हुए 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की माँग की है। विदित हो कि हुए एनएचआरसी ने यह आदेश जारी किया है। विदित हो जाँच की नितांत आवश्यकता है।

मुजफ्फरपुर।जिला समाहरणालय के समक्ष आत्मदाह कि जमीन पर दखल-कब्जा नहीं मिलने से परेशान होकर कलेक्ट्रेट करने वाले बिंदालाल गुप्ता की मौत को अति गंभीर मामला भें आत्मदाह करने वाले कांटी कस्बा के बिंदालाल गुप्ता की माना है। एनएचआरसी ने इस मामले में डीएम और एसकेएमसीएच में ईलाज के दौरान मौत हो गई। वर्ष 2014 में उसे एसएसपी को तलब करते हुए 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत । तीन डिसिमल जमीन भू-हदबंदी से प्राप्त हुई थी। जिस पर वह घर बनाना चाहता था। लेकिन, पडोसी उक्त जमीन पर उसे दखल कब्जा नहीं करने दे रहे थे। वर्ष 2020 में उस पर घर बनाने का प्रयास किया तो आरोपी पडोसी ने झोपडी गिरा दी थी। आला अधिकारियों तक गुहार के बाद भी उसे जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था। कई बार कार्यालयों का चक्कर लगाते-लगाते वह परेशान हो गया था। जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंच कर उसने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली थी। मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने मामले में एस.के.झा ने कहा कि यह मामला मानवाधिकार उद्घंघन के अतिगंभीर एनएचआरसी व बीएचआरसी में याचिका दायर कर मामले 🏻 कोटि का मामला है। साथ-ही-साथ यह मौजुदा प्रशासनिक व्यवस्था में न्यायिक जाँच की माँग की थी, जिस पर सुनवाई करते पर कुठाराघात है। मामले में माननीय आयोग के स्तर से उच्चस्तरीय



कलेक्ट्रेट में आत्मदाह के मामले में मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

मुजफ्फरपुर (एसएनबी)। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता की मौत के मामले में एनएचआरसी ने जिले के डीएम और एसएसपी को तलब किया है। एनएचआरसी ने मामले को अति गंभीर मानते हुए इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन भी बताया है। आयोग ने डीएम और एसएसपी से इस मामले में 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की माँग की है।

विदित हो कि मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने मामले में एनएचआरसी व

एनएचआरसी ने जिलाधिकारी व एसएसपी से किया जवाब तलब

बिंदालाल गुप्ता की मौत मामले की मांगी 8 सप्ताह में रिपोर्ट बीएचआरसी में याचिका दायर कर मामले में न्यायिक जाँच की माँग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एनएचआरसी ने यह आदेश जारी किया है। ज्ञात हो कि जमीन पर दखल-कब्जा नहीं मिलने से परेशान होकर कलेक्ट्रेट में आत्मदाह

करने वाले कांटी कस्बा के बिंदालाल गुप्ता की एसकेएमसीएच में ईलाज के दौरान मौत हो गई। वर्ष 2014 में उसे तीन डिसिमल जमीन भू-हदबंदी से प्राप्त हुई थी। जिस पर वह घर बनाना चाहता था। लेकिन, पड़ोसी उक्त जमीन पर उसे दखल कब्जा नहीं करने दे रहे थे। वर्ष 2020 में उस पर घर बनाने का प्रयास किया तो आरोपी पड़ोसी ने झोपड़ी गिरा दी थी। आला अधिकारियों तक गुहार के बाद भी उसे जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था। कई बार कार्यालयों का चक्कर लगाते-लगाते वह परेशान हो गया था। जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंच कर उसने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली थी। मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने कहा कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर कोटि का मामला है। साथ-ही-साथ यह मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। मामले में माननीय आयोग के स्तर से उच्चस्तरीय जाँच की नितांत आवश्यकता है।



Andhra Pradesh: BJP leader added as member in Tirumala Tirupati Devasthanams trust board

https://timesofindia.indiatimes.com/city/vijayawada/andhra-pradesh-bjp-leader-added-as-member-in-tirumala-tirupati-devasthanams-trust-board/articleshow/114875714.cms

TNN | Nov 2, 2024, 12.42 PM IST

TIRUPATI: BJP spokesperson G Bhanu Prakash Reddy has been named in the TTD board members list, which was officially released by the govt on Friday. The new TTD trust board now has 29 members, with media baron Bollineni Rajagopal Naidu appointed as the chairman. Besides 25 non-officials, executive officer of TTD, secretary to the govt, have also been nominated to the trust board as per convention. Earlier, Andhra Pradesh govt constituted the new Tirumala Tirupati Devasthanams trust board on Wednesday. Prominent vernacular television news channel chairman Bollineni Rajagopal Naidu, a native of Chittoor district, was appointed as the new TTD chairman.

While several aspirants reportedly intensified their lobbying for the coveted TTD chairmanship, chief minister Nara Chandrababu Naidu made the final decision in nominating BR Naidu as the new TTD chairman.

Other prominent members in the trust board include former Chief justice of India and former chairman of the **national human rights commission** HL Dattu and Bharath Biotech founder Dr Suchitra Ella.

Two prominent figures who were nominated to the TTD trust board during the erstwhile YSRCP regime and have once again made it to the new TTD trust board constituted by the TDP govt are Krishnamurthy (Tamil Nadu) and Saurabh H Bora (Maharashtra).

Other members nominated to the TTD trust board include Narsi Reddy, Sambasiva Rao (Jasthi Shiva), Sadasivam Rao Nannapaneni, Koteshwar Rao, Mallela Rajasekhar Goud, RN Darshan, Shantaram, P Ramoorthy, Janaki Devi Thammisetty, Boogunooru Mahender Reddy, Anugolu Rangasri, Buragapu Ananda Sai, Naresh Kumar and Dr Adit Desai.Dr Adit Desai is the second Gujrati to be appointed to the TTD trust board.

His father Dr Ketan Desai, former MCI chief who faced charges of financial fraud and irregularities, was the first Gujrati to be appointed to the TTD trust board during the YSRCP regime in 2021.



NHRC ने आत्मदाह मामले में DM से मांगी रिपोर्ट:मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में बिंदालाल गुप्ता ने लगाई थी आग, 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की मांग

https://www.bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/news/nhrc-sought-report-from-dm-in-self-immolation-case-133898612.html

मुजफ्फरपुर11 घंटे पहले

मुजफ्फरपुर जिला कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता के मौत के मामले को NHRC ने मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन बताया है। इस मामले में आयोग ने डीएम और एसएसपी से 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की मांग की है।

इस मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने एनएचआरसी और बीएचआरसी में याचिका दायर करके न्यायिक मांग की थी। जिसको लेकर एनएचआरसी ने सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। पूरी मामले को लेकर डीएम और एसएसपी से रिपोर्ट मांगी गई है।

क्या है पूरा मामला

कांटी कस्बा के बिंदालाल गुप्ता ने जमीन पर दखल-कब्जा नहीं मिलने से परेशान होकर बीते 4 जुलाई को कलेक्ट्रेट में पेट्रोल छिड़क कर शरीर में आग लगा ली। जिनका इलाज के दौरान एसकेएमसीएच में मौत हो गया था। बिंदा लाल की पत्नी किशोरी देवी के आवेदन के आधार पर नगर थाने में बीते 7 जुलाई को प्राथिमकी दर्ज की गई थी। बताया गया कि साल 2014 में उसे तीन डिसिमल जमीन भू-हदबंदी से प्राप्त हुई थी। जिस पर वह घर बनाना चाहते थे। लेकिन पड़ोसी उक्त जमीन पर उसे दखल कब्जा नहीं करने दे रहे थे। साल 2020 में उस पर घर बनाने का प्रयास किया तो आरोपी पड़ोसी ने झोपड़ी गिरा दी थी।

जिसके बाद आला अधिकारियों तक गुहार के बाद भी उसे जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था। कई बार कार्यालयों का चक्कर लगाते-लगाते वह परेशान हो गया था। जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंच कर उसने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली थी।

मामले संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने कहा कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर कोटि का मामला है। साथ-ही-साथ यह मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। माननीय आयोग के स्तर से उच्चस्तरीय जांच की नितांत आवश्यकता है।